

## प्रारूप-36

परियोजना का नाम—

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज नवम के अन्तर्गत प्रस्तावित चौपहियाल गांव से सौढ़ मोटर मार्ग के किमी 0 12.00 से सुरेत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। लम्बाई 5.00 किमी 0, स्टेज-प्रथम

### मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

#### मानक शर्तें

1. उन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रखिए या औरक्षित बन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रह्लगत भूमि का उपयोग कोशल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अवधा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा अधित विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. उन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा टेक्निकर उन भूमि को किसी प्रकार की बाति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनधिकारी द्वारा निर्वाचित प्रतिकार का न्यूनतम प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा; इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का स्थानांकन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यथा सम्बन्धित इनाहिकारी की देख-देख गे किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाए गये नुनारी का रल-रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित बन भूमि पर उन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को लोई जापति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य उन सम्बद्ध से आव्यादित एवं उन जन्मुजों से भरपूर उन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथान्तर्नाम द्वारा विषय जाय। केवल अपविहारी कर्त्तव्यों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिकर क्रह होगा जि उन सम्बद्ध की संतुष्टिपूर्ति एवं उन्हें जन्मुजों के स्वामुन्द विचारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिवाई विभाग/जल निगम द्वारा उन विभाग की नसीरीयों को एवं उन विभाग के कर्मचारियों की निश्चल जल वै सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित बन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने व्यवहा अन्य विभाग स्वता या व्यक्ति विशेष का हस्तान्तरित करने पर उन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये दिन उन विभाग को दायत हो जायेगी। उन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भठन कोई स्वतः दिन किसी प्रतिकर भुगतान के उन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सहज निर्माण के प्रस्तावी पर संरक्षण तथ करते समय रुक्तानीय स्तर पर उन विभाग का प्राप्तानी लोअनेशन द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में नुस्खा अभिवन्ता, लोअनिपिठो का सम्बोधित एवं संख्या 808 से ० दिनों 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लोअनिपिठो द्वारा किया जायेगा। उन भूमि पर अत्यन्त इनाम आवा उन

मार्गों का सुदृढ़ीकरण/ सीढ़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार दाया सरकार के पहां में जाना कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े दृश्यों का निष्ठारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।
14. इस्तान्तरित भूमि पर पहुंचने वाले दृश्यों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का मुगलान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि संपलब्द न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुनां गैर वानिकी ट्रैकल में दृश्यारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण द्वारा जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का मुगलान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 दिग्गी से अधिक ढाल पर खड़े दृश्यों का पातन नी निषिद्ध है। इसी प्रकार छाँज के पेढ़ों पर पातन भी दिनित है। ऐसे दृश्यों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक सत्र पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत यांत्रण लाईन के शोरिहार के नीचे बचासम्बद्ध पेढ़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पांचवन लाईन के चाम्बों को लौंचा कर अधिक से अधिक सज्जा में पेढ़ों को बचाया जायेगा। यदि यिन भी पेढ़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता होता है तो न्यूनतम पेढ़ों को लौंचा सदूचत स्थित निरीक्षण करके सम्बन्धित एवं वन संरक्षक द्वारा निरिचित ही जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पातन करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त महाक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में लौंग अन्य शर्त लगाई जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पातन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जाय हो अथवा उक्त स्तर से आवश्यक प्राप्त हो जाय।  
प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड राजन तथा भवत सरकार द्वारा लगाई नहीं होती प्रयोक्ता एजेन्सी को मात्र है।

②  
कनिका अधिकारी  
पीएमजीएसवार्ड, सिंहगड-2  
नई टिहरी

४  
तहायक अधिकारी  
पीएमजीएसवार्ड, सिंहगड-2  
नई टिहरी

अधिकारी अधिकारी  
पीएमजीएसवार्ड, सिंहगड-2  
नई टिहरी